कृषि उपज मण्डी समिति ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/12 से 3/13

भाग–एक

1 **प्रारम्भिकः–**

(i) कृषि उपज मण्डी समिति, ऊना के अवधि 4/12 से 3/13 के लेखाओं का अंकेक्षण, हिमाचल प्रदेश कृषि एवम औद्यानिकीय उपज विपणन विधेयक 2005 की धारा 48.2 के प्रावधानों दृष्टिगत इस विभाग द्वारा किया गया।

(ii) अंकेक्षण अवधि 4/2012 से 3/2013 के दौरान मण्डी समिति ऊना के आहरण एवं वितरण/नियन्त्रण अधिकारी निम्नानुसार थेः–

क्र0सं0	नियन्त्रण एवं आहरण वितरण अधिकारी का नाम	कार्य अवधि
1	श्री सुशील गुलेरिया	1.4.2012 से 31.3.2013

(iii) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	राशि (₹) लाखों में
1	8	गगरेट चैक पोस्ट को बन्द करने के कारण मण्डी समिति को प्रतिवर्ष हो रही वित्तीय हानि	5.00
2	9	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कारपोरेशन से मण्डी शुल्क की वसूली न करना	2.56
3	10	कृषि उपज मण्डी समिति ऊना के परिक्षेत्र में कार्यरत्त कत्था उद्योगों से मण्डी शुल्क की कम वसूली करना	0.71
4	11	बकाया किराए की वसूली न करना	0.13
5	14	एरियर आफ लैण्ड रैवन्यू के रूप में घोषित राशि की वसूली न करने बारे	31.96

(iv) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्रवाई के अवलोकनोपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति **परिशिष्ट "A"** पर दर्शाई गई है।

भाग–दो

2 **वर्तमान अंकेक्षणः–**

कृषि उपज मण्डी समिति ऊना के अवधि 4/2012 से 3/2013 के लेखाओं का अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए हैं, सर्व श्री जितेन्द्र सिंह अनुभाग अधिकारी व संजीव कुमार कविष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 5.8.2013 से 3.9.2013 के दौरान ऊना में किया गया। आय की विस्तृत जॉच पडताल हेतु माह 7/2012, 1/2013 तथा व्यय की विस्तृत जॉच के लिए माह 8/2012, 2/2013 का चयन किया गया।

"The audit report has been prepared on the basis of the information furnished and made available by the controlling officer of the institution. The Local Audit Department disclaims any responsibility for any mis-information or non-submission of information on the part of auditee."

3 **अंकेक्षण शुल्कः–**

मण्डी समिति ऊना के अवधि 4/2012 से 3/2013 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹45409/– आंका गया जिसे निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्या 161/2013 दिनांक 5.9.2013 द्वारा सचिव कृषि मण्डी समिति ऊना से अनुरोध किया गया। सचिव मण्डी समिति ऊना द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि एच0डी0एफ0सी0 के बैंक ड्राफ्ट संख्या 084387 दिनांक 24.9.2013 द्वारा भिजवा दी गई है।

4 **वित्तीय स्थितिः–**

(i) कृषि उपज मण्डी समिति ऊना द्वारा प्रस्तुत मण्डी समिति की अंकेक्षणाधीन अवधि की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार थीः–

वर्ष	2012–13
प्रारम्भिक शेष	8883337
आय	12118510
योग	**21001847**
व्यय	9081896
शेष	**11919951**

(ii) दिनांक 31.3.2013 को अन्त शेष का विवरणः–

बैंक बचत खातों में जमा राशि	5708322	**परिशिष्ट "क"**
बैंक सावधि जमाओं में निवेशित राशि	6032995	**परिशिष्ट "ख"**
हस्तगत राशि	169303	
योग	**11910620**	

(iii) बैंक समाधान विवरणः– उपरोक्त विवरणानुसार दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ वही/वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तशेष तथा बैंक के अनुसार अन्तशेष के अनुसार ₹11919951–₹11910620=₹9331 का अन्तर पाया गया।

अन्तर के कारणः–

मण्डी समिति द्वारा चैक संख्या 655354 दिनांक 26.3.2013 के अन्तर्गत प्राप्त ₹9331 को दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ वही के आय पक्ष में दर्ज किया गया तथा बैंक में भी जमा करवा दिया गया था परन्तु दिनांक 31.3.2013 तक बैंक द्वारा उक्त राशि का क्रेडिट नहीं दिया गया था। तत्पश्चात एक्सिस बैंक से खाता संख्या 1679192 में इस राशि को दिनांक 2.4.2013 को क्रेडिट किया गया जिसकी पुष्टि कर ली गई है।

5 आय–व्यय का विवरणः–

कृषि उपज मण्डी समिति ऊना का गत तीन वर्षों का आय–व्यय का विवरण **परिशिष्ट "ग"** में संलग्न है।

6 कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं के बारे मेंः–

मण्डी समिति ऊना में वर्ष 2012–13 के दौरान 13 कर्मचारी कार्यरत्त थे परन्तु इन कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं को आवश्यक जॉच हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया। चर्चा में बताया गया कि सेवा पुस्तिकाऐं कर्मचारियों का वेतन निर्धारण करने हेतु विपणन बोर्ड शिमला को भेजी गई है। अतः इन सेवा पुस्तिकाओं को आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 कृषि उपज मण्डी समिति ऊना द्वारा डिपोजिट कार्य करवाने हेतु अदा की गई ₹317600/– के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करनाः–

मण्डी समिति ऊना द्वारा विभिन्न प्रकार से डिपोजिट कार्य करवाने हेतु अवधि 4/2012 से 3/2013 के दौरान बोर्ड के निम्नविवरणानुसार ₹317600/– जमा करवाई गई है परन्तु मण्डी समिति ऊना द्वारा बोर्ड में जमा की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए। अतः अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

क्र0सं0	उद्देश्य	दिनांक	राशि
1	कन्स्ट्रकशन ऑफ कुलैक्शन सैन्टर	1.5.2012	120400
2	प्रोवाईडिंग एण्ड फिक्सिंग ऑफ स्टील छज्जा	19.3.2013	197200
		योग	**₹317600**

8 गगरेट चैक पोस्ट को बन्द करने के कारण मण्डी समिति को प्रतिवर्ष हो रही लगभग 5 लाख की वित्तीय हानि के बारे में:–

कृषि उपज मण्डी समिति ऊना द्वारा पूर्व में दिनांक 20.9.11 को हुई बैठक की मद संख्या "7" द्वारा निर्णय लिया गया था कि "पंजाब की सीमा पर गगरेट में एक चैक पोस्ट लगाई जा रही है जिस पर व्यापारियों से मण्डी शुल्क प्राप्त किया जाएगा तथा आवक जावक का रिकार्ड भी तैयार किया जाएगा।" इस निर्णय के फलस्वरूप निम्नानुसार मण्डी शुल्क की प्राप्ति चैक पोस्ट पर की गई है:–

अवधि	राशि
1.11.2011 से 31.3.2012	214733
1.4.2012 से 16.7.2012	151514
	366247

परन्तु कृषि उपज मण्डी समिति ऊना की दिनांक 13.7.2012 की बैठक की मद संख्या 6 के अनुसार निर्णय लिया गया कि, " गगरेट में स्थापित चैक पोस्ट को अस्थाई तौर पर कुछ समय के लिए बन्द कर दिया जाए और उनमें से कुछ कर्मचारियों को उपमण्डी यार्ड संतोषगढ़ में तैनात किया जाए ताकि वहां पर मार्किट यार्ड का रख रखाव सही ढ़ंग से हो सके और मार्किट यार्ड में किए जा रहे कार्य की भी निगरानी करने के साथ–2 मण्डी में आढ़तियों, व्यापारियों व किसानों को भी जागरूक किया जा सके। उक्त बैठक में सचिव द्वारा सदन से निवेदन किया गया था कि गगरेट में स्थापित चैक पोस्ट इस समय लाभ में चल रही है

इसलिए इसकों बन्द करना कमेटी हित में नहीं है। यहॉ पर यह भी वर्णित किया जाता है कि उकत विवरणानुसार इस चैक पोस्ट से लगभग प्रतिमाह ₹40000–₹45000/– अर्थात प्रतिवर्ष लगभग ₹5 लाख की आय हो रही थी। अतः सचिव के अनुरोध को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि जैसे ही नवनिर्मित मण्डी यार्ड का कार्य सुचारू रूप से चलता है तो तुरन्त ही चैक पोस्ट को पुनः शुरू कर दिया जाएगा परन्तु अभी तक उक्त चैक पोस्ट को पुनः शुरू नहीं किया गया है। अतः यह प्रकरण विपणन बोर्ड शिमला तथा मण्डी समिति ऊना के अधिकारियों के ध्यानार्थ वांन्छित कार्रवाई करने के लिए लाया जाता है ताकि मण्डी समिति ऊना को हो रही वित्तीय हानि से बचा जा सके।

9 हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कारपोरेशन से मण्डी शुल्क की ₹256928/– की वसूली न करनाः–

हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कारपोरेशन द्वारा एम फार्म संख्या 930/027 पर अवधि 1.7.2012 से 3.12.2012 के दौरान प्रस्तुत की गई रिटर्न की जॉच करने पर पाया गया कि उक्त कारपोरेशन द्वारा मण्डी शुल्क की ₹1122628/– देय थी जोकि उनके द्वारा मण्डी समिति के पास जमा करवाई जानी अपेक्षित थी परन्तु उनके द्वारा केवल ₹865700/– जमा करवाई गई तथा शेष मण्डी शुल्क की ₹256928/– को न तो कृषि उपज मण्डी समिति ऊना के पास जमा करवाया गया और न ही उनको आगामी रिटर्न के प्रारम्भिक शेष में दर्शाया गया। अतः इस अनियमितता बारे में वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा शेष मण्डी शुल्क की ₹256928/– की शीध्र वसूली करके वसूल की गई राशि को मण्डी समिति के लेखों में जमा करवाई जाए।

10 कृषि उपज मण्डी समिति ऊना के परिक्षेत्र में कार्यरत्त कत्था उद्योगों से मण्डी शुल्क की ₹71520/– की कम वसूली करनाः–

मैसर्ज पुरी कत्था उद्योग गगरेट द्वारा फार्म संख्या 1732/7 दिनांक 11.1.2013 पर अवधि 1.12.2011 से 31.12.2012 के दौरान कत्थे की बिक्री की रिटर्न प्रस्तुत की गई थी। उक्त फर्म द्वारा इस रिटर्न पर कत्थे की बिक्री ₹25000/– प्रति क्विंटल दर्शाई गई है तथा यह दर बिलों के आधार पर मण्डी सुपरवाईजर द्वारा सत्यापित भी की गई है परन्तु **परिशिष्ट "घ"** पर दिए गए विवरणानुसार मण्डी समिति ऊना के परिक्षेत्र में कार्यरत्त अन्य कत्था उद्योगों द्वारा बिक्री की दरें कम दर्शाई गई थी तथा यह दरें किसी प्राधिकारी द्वारा भी सत्यापित नहीं की

गई थी। अतः इस प्रकार रिटर्न में लगाई गई बिक्री दरें तर्क संगत न होने के कारण मुण्डी शुल्क की लगभग ₹71520/– की कम वसूली की गई प्रतीत होती है जिसकी संस्था स्तर पर जांच की जाए तथा वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त आवश्यक जांच के उपरान्त यदि वास्तव में कत्था उद्योगों द्वारा उक्त राशि कम जमा करवाई गई है तो उसे शीध्र वसूल किया जाए तथा मण्डी समिति के लेखों में जमा करवाया जाए।

11 बकाया किराए की ₹13952/– की वसूली न करनाः–

मण्डी समिति ऊना के किराया रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न विभागों से किराए की ₹13952/– वसूली हेतु लम्बित है, जिसकी वसूली नियमानुसार करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

क्र0सं0	विभाग/स्टॉल का नाम	दुकान सं0	लम्बित किराया (दिनांक 31.3.2013)
1	उप निदेशक कृषि विभाग ऊना	5	1350
2	उप निदेशक कृषि विभाग ऊना	6	1350
3	उप निदेशक कृषि विभाग ऊना	3	3500
4	तहसीलदार चुनाव जिला ऊना	कार्यालय भवन	7752
		योग	**13952**

12 लाईसैन्स के नवीनीकरण बारेः–

मण्डी समिति ऊना के लाईसैन्स रजिस्टर की जॉच करने पर पाया गया कि अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान निम्नविवरणानुसार विभिन्न धारकों द्वारा अपने लाईसैन्सों का नवीनीकरण नहीं करवाया गया था। अतः इस बारे हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योनिकीय उत्पाद विपणन सामान नियम 2006 के निय 21 (1) व (12) के अनुसार कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	लाईसैन्स धारक का नाम	जिस वर्ष हेतु लाईसैन्स नवीनीकरण वांन्छित था
1	मै0 नानक चन्द रोशन लाल करयाना स्टोर सोहारी	2012–2013
2	मै0 मल्कीयत सिंह फर्नीचर एण्ड एल्यूमीनियम इन्डस्ट्रीज अम्ब	2012–2013
3	मै0 ऊना एग्रो फूडस प्रोडक्टस मनुआल नंगल खुर्द	2012–2013

4	मै0 कपिला फ्रूट एजेन्सी अम्ब रोड ऊना	2012–2013
5	मै0 लक्ष्मी टरेडिंग कम्पनी अम्ब रोड ऊना	2012–2013
6	श्री विकास पुरी सुपुत्र श्रीविनोद कुमार पुरी फ्रूट एण्उ बैजीटेबल गॉव नारी	2012–2013
7	मै0 शर्मा जनरल स्टोर मेन बाजार चिन्तपूर्णी	2012–2013
8	मै0 आकाश फ्रूट कम्पनी ठठल तहसील अम्ब	2012–2013
9	मै0 जय मॉ मिल्क डेयरी रकड़ कालोनी	2012–2013

13 फर्म द्वारा लाईसैन्स न बनवानाः–

सचिव विपणन समिति ऊना ने मैसर्ज महावीर कत्थ उद्योग आदर्श नगर ऊना को पत्र संख्या ए0पी0एम0सी0यू0–5–1/2012–81–616 दिनांक 30.6.2012 द्वारा लाईसैन्स बनवाने हेतु नोटिस जारी किया है क्योंकि यह फर्म कत्थे का कारोबार कर रही है परन्तु इस फर्म द्वारा न तो लाईसैन्स बनवाया गया है और न ही अपनी रिटर्न प्रस्तुत की है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति से इस विभाग को शीध्र अवगत करवाया जाए।

14 एरियर आफ लैण्ड रैवन्यू के रूप में घोषित ₹3196702/– की वसूली न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1996 एक्ट 9 ऑफ 1970 की धारा 38 (2) तथा हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योनिकीय उपज (विकास एवं विनियमन) विधेयक 2005 की धारा 66 के अन्तर्गत कलैक्टर द्वारा निम्नविवरणानुसार ₹3196702/– एरियर ऑफ लैण्ड रैवन्यू के रूप में घोषित की गई थी तथा घोषित की गई राशि में से नाममात्र ही की वसूली गई है तथा शेष ₹3196702/– की वसूली करनी बाकी है जिसकी वसूली हेतु यह मामला विपणन बोर्ड के उच्च अधिकारियों के ध्यान में आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

क्र0सं0	विवरण	ए.एल0आर0 घोषित होने की तिथि	ए.एल0आर0 की राशि	वसूली गई राशि	शेष
1	मै0 धीमान राईस मिल्स रैसरी	10.2.2006	397140	–	397140
2	मै0 कौशल रोलर फलेयर	2.2.2006	855806	200000	655806

	मिल्ज टाहलीवाल				
3	मै0 नरेश कुमार सुपुत्र श्री प्रकाश चन्द गांव व डा0 रायपुर	21.4.2008	69000	11500	57500
4	मै0 मोनिका फूडज प्रोसैसिंग यूनिट टाहलीवाल	5.11.2011	86400	—	86400
5	मै0 वशिष्ट कत्था उद्योग डुमखर	29.11.2006	635000	238000	397000
6	मै0 कृष्ण कुमार भैरा	4.4.2007	263212	131606	131606
7	मै0 एम0एम0 प्रोडक्टस कोटला खुर्द	7.3.2008	1765500	294250	1471250
					₹ 3196702

15 नवनिर्मित दुकानों को किराए पर न देनाः—

मण्डी समिति ऊना द्वारा वर्ष 2011—2012 में मुख्य यार्ड ऊना में 4 दुकानों का निर्माण किया गया है परन्तु इन दुकानों को 31.3.2013 तक किराए पर नहीं दिया गया। इस प्रकार इन नवनिर्मित दुकानों के किराए पर न देने के कारण मण्डी समिति ऊना को वित्तीय हानि हुई है। अतः इन दुकानों को खाली रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस प्रकरण में उचित कार्रवाई अमल में लाते हुए अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 विक्रेताओं द्वारा फार्म "आर" को हस्ताक्षरित न करनाः—

मण्डी समिति ऊना के सब यार्ड सन्तोषगढ़ के आढ़तियों द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत की गई रिटर्न की जांच करने पर पाया गया कि सम्बन्धित विक्रेता अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योनिकीय उत्पाद विपणन नियम 2006 के नियम 30 (17) के दिए गए प्रावधानों के अनुसार "आर" फार्म पर हस्तांक्षरित नहीं किए गए थे जिसके अभाव में उनके द्वारा विपणन समिति में जमा की गई मण्डी शुल्क की राशि की सही जांच नहीं हो सकी।

क्र0सं0	फर्म का नाम	मास (अवधि)
1	रविन्द्र कुमार एण्उ सच सन्तोषगढ़	1.4.2012 से 31.3.2013
2	मान फ्रूट कम्पनी सन्तोषगढ़	1.4.2012 से 31.3.2013
3	श्री लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी सन्तोषगढ़	1.4.2012 से 31.3.2013

4	कौशल फ्रूट कम्पनी सन्तोषगढ़	1.4.2012 से 31.3.2013
5	लक्ष्मी फ्रूट कम्पनी ऊना	1.4.2012 से 31.3.2013
6	जोशी फ्रूट कम्पनी ऊना	1.4.2012 से 31.3.2013
7	रमा फ्रूट कम्पनी सन्तोषगढ़	1.4.2012 से 31.3.2013

अतः उक्त फर्मों से हस्ताक्षर सहित अपेक्षित अभिलेख प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में जॉच हेतु प्रस्ततु किए जाएं।

17 दुकानदारों द्वारा रिटर्न फार्म "ओ" के साथ दरों के समर्थन में बिल की छायाप्रतियॉ न लगानाः–

मण्डी समिति ऊना क्षेत्र के दुकानदारों द्वारा मण्डी शुल्क की रिटर्न फार्म "ओ" पर प्रस्तुत की गई है परन्तु "ओ" फार्म पर दर्शाई गई दरों के समर्थन में बिल की छायाप्रतियॉ रिटर्न के साथ नहीं लगाई गई थी और न ही यह दरें मण्डी समिति ऊना के किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सत्यापित की गई थी जिसके अभाव में मण्डी समिति ऊना द्वारा प्राप्त की गई मण्डी शुल्क की राशि की सही जॉच नहीं की जा सकी। अतः भविष्य में फर्म से बिल की फोटोप्रति ली जाए तथा फार्म में लगाई गई दरों का सत्यापन भी मण्डी समिति के अधिकारी से करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 मण्डी शुल्क की ₹26 की कम वसूली बारेः–

मैसर्ज शिवालिक फ्रूट कम्पनी सन्तोषगढ़ द्वारा प्रस्तुत की गई दिनांक 23.6.2012 की रिटर्न के अनुसार मण्डी शुल्क ₹143/– बनता था जबकि उनसे ₹117 की वसूली की गई। अतः उक्त फर्म से ₹26 की कम वसूली की गई जिसकी वसूली अब की जाए।

19 फर्म द्वारा रिटर्न फार्म "ओ" के साथ "आर" फार्म संलग्न न करनाः–

मैसर्ज राजेश फ्रूट कम्पनी सन्तोषगढ़ द्वारा अवधि 1.7.2012 से 10.7.2012 तक की रिटर्न "ओ" फार्म पर प्रस्तुत की है परन्तु रिटर्न के साथ "आर" फार्म संलग्न नहीं था जिसे अब प्राप्त करके इसकी जॉच आगामी अंकेक्षण पर करवाई जाए।

20 मण्डी समिति द्वारा वकील को भुगतान की गई ₹650452/– से सम्बन्धित स्वीकृति प्राप्त न करनाः–

वाऊचर संख्या 154 माह 2/2013 के अन्तर्गत श्री ई0सी0 अग्रवाल वकील को केस संख्या 298 ऑफ 2006 के लिए ₹650452/– का भुगतान किया गया है परन्तु भुगतान करने के लिए स्वीकृति प्रबन्धक निदेशक, हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड शिमला से प्राप्त नहीं की गई है जिसे प्राप्त करके व्यय का नियमितकरण करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

21 व्यापारियों/लाईसैन्सी द्वारा वार्षिक लेखें प्रस्तुत न करने बारेः–

अंकेक्षण अवधि 4/2012 से 3/2013 के दौरान जॉच में पाया गया कि मण्डी समिति के अधिकार क्षेत्र में आने वाले व्यापारियों/लाईसैन्सियों द्वारा हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज एवं विनियम विधेयक (साधारण) नियम 2005 की धारा 60 (1) तथा हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन 2006 के नियम 37 (1) अनुसार अपने वार्षिक लेखों के लेन देन सम्बन्धी विवरण (Statement Transactions) प्रत्येक वर्ष की 30 जून से पहले फार्म "बी" पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है परन्तु अधिकांश मामलों में उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और न ही इस बारे मण्डी समिति ऊना द्वारा सम्बन्धित फर्मों/व्यापारियों को नोटिस जारी किए गए थे। अतः उक्त लेखों को प्राप्त न करने बारे औचित्य अंकेक्षण को स्पष्ट किया जाए।

22 नियमानुसार अभिलेख को तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम 2006 के विभिन्न नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित अभिलेखों को मण्डी समिति ऊना द्वारा तैयार नहीं किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख तैयार करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	फार्म सं0	नियम	उद्देश्य
1	एल	30 (4)	क्रेता द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर
2	पी	30 (11)	नीलामी रजिस्टर

3	एस	31 (7)	प्राईवेट मण्डी प्रांगण में भरा जाने वाला रजिस्टर
4	डब्लयू	37 (2)	समिति द्वारा अनुरक्षित कृषि उपज के क्रय और विक्रय का रजिस्टर

23 **विभिन्न न्यायालयों में मण्डी समिति द्वारा दायर प्रकरण के बारे में:–**

मण्डी समिति द्वारा **परिशिष्ट "ङ"** में दिए गए विवरण के अनुसार मण्डी समिति ऊना द्वारा अवधि 3/2013 तक अनेक व्यापारियों के विरूद्ध लाईसैन्सो से सम्बन्धित मण्डी शुल्क की वसूली तथा किरायों की वसूली से सम्बन्धित मामले विभिन्न न्यायालयों में दायर है। अतः इन सभी मामलों में अदालती निर्णय प्राप्त होने पर तदानुसार अपेक्षित कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए।

24 **लधु आपत्ति विवरणियॉः–** इसे पृथक से जारी नहीं किया गया।

25 **निष्कर्षः–** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)सी (15)(14) 83/84 खण्ड–6 दिनांक,31.1.2014, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत 1 सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी कृषि उपज मण्डी समिति ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भतीर इस विभाग को भेजें।

2 प्रबन्ध निदेशक हि0प्र0 कृषि राज्य विपणन बोर्ड विपणन सदन खलीनी शिमला–2

3 अवर सचिव, (कृषि) हि0प्र0 सरकार शिमला–2

4 श्री जितेन्द्र सिंह अनुभाग अधिकारी द्वारा

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट **"A"** पैरा संख्या 1 (iv) के सन्दर्भ में

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/95

1	पैरा–9	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 के पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1–910 दिनांक 7.2.2013 द्वारा निर्णीत)

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/96

1	पैरा–14	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/99

1	पैरा–17	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2001

1	पैरा–8	अनिर्णीत
2	पैरा–17	अनिर्णीत
3	पैरा–18	अनिर्णीत
4	पैरा–19	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2002

1	पैरा–8	अनिर्णीत
2	पैरा–10	अनिर्णीत
3	पैरा–11	अनिर्णीत
4	पैरा–12	अनिर्णीत
5	पैरा–13	अनिर्णीत
6	पैरा–16	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2004

1	पैरा–5	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 के पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1–910 दिनांक 7.2.2013 द्वारा निर्णीत)
2	पैरा–7	अनिर्णीत	
3	पैरा–9	अनिर्णीत	
4	पैरा–11	अनिर्णीत	
5	पैरा–17	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 के पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1–910 दिनांक 7.2.2013 द्वारा निर्णीत)
6	पैरा–18	अनिर्णीत	

(छ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2006

1	पैरा–6	अनिर्णीत	
2	पैरा–7	अनिर्णीत	
3	पैरा–16	अनिर्णीत	
4	पैरा–18	अनिर्णीत	
5	पैरा–19	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 के पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1–910 दिनांक 7.2.2013 द्वारा निर्णीत)
6	पैरा–21	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 के पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1–910 दिनांक 7.2.2013 द्वारा निर्णीत)

(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2008

1	पैरा–7	अनिर्णीत	
2	पैरा–8 (2)	अनिर्णीत	
3	पैरा–12	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 के पत्र संख्या

			1–548 / 2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1–510 दिनांक 7.2.2013 द्वारा निर्णीत)
4	पैरा–19	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 के पत्र संख्या 1–548 / 2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1–910 दिनांक 7.2.2013 द्वारा निर्णीत)
5	पैरा–20	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 के पत्र संख्या 1–548 / 2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1–910 दिनांक 7.2.2013 द्वारा निर्णीत)
6	पैरा–21	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 के पत्र संख्या 1–548 / 2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1–910 दिनांक 7.2.2013 द्वारा निर्णीत)
7	पैरा–22	निर्णीत	(₹4990 / – की वसूली रसीद संख्या 4047 / 35 दिनांक 4.6.2013 द्वारा कर ली गई)
8	पैरा–23	अनिर्णीत	
9	पैरा–27	अनिर्णीत	
10	पैरा–28	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 के पत्र संख्या 1–548 / 2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1–910 दिनांक 7.2.2013 द्वारा निर्णीत)
11	पैरा–30	निर्णीत	(सटिप्पण उत्तर के अनुसार)
12	पैरा–32	अनिर्णीत	

(झ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4 / 2008 से 3 / 2010

1	पैरा–7 (ख)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 के पत्र संख्या 1–548 / 2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1–910 दिनांक 7.2.2013 द्वारा निर्णीत)

2	पैरा–8	अनिर्णीत	
3	पैरा–13 (i) व(ii)	अनिर्णीत	
4	पैरा–14 (i) व(ii)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 के पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1–910 दिनांक 7.2.2013 द्वारा निर्णीत)
5	पैरा–16	अनिर्णीत	
6	पैरा–20	अनिर्णीत	
7	पैरा–21		(अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 के पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1–910 दिनांक 7.2.2013 द्वारा निर्णीत)
8	पैरा–24	निर्णीत	(आर फार्म की पुष्टि कर ली गई है)
9	पैरा–28	अनिर्णीत	
10	पैरा–29	अनिर्णीत	
11	पैरा–31	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 के पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1–510 दिनांक 7.2.2013 द्वारा निर्णीत)
12	पैरा–33	निर्णीत	(सटिप्पण उत्तर के अनुसार)
13	पैरा–34	अनिर्णीत	

(ञ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2012

1	पैरा–4	निर्णीत	(वित्तीय स्थिति की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013 में दर्शा दी गई है)
2	पैरा–6 (ख)	निर्णीत	(अग्रिम राशि का समायोजन कर दिया गया है)
3	पैरा–7	निर्णीत	(बकाया किराए की वसूली बारे पैरा संख्या (ii) वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013 में पुनः प्रारूपित)

4	पैरा–8	अशंतः निर्णीत	(i) क्रम संख्या (1) से (13) तथा 15 पर दर्शाए गए कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्रों की पुष्टि कर ली गई है) (ii)क्रम संख्या संख्या 14 पर दर्शाए गए कार्य रेनोवेशन आफ सूट नं0 1 की ₹81800 का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना शेष है
5	पैरा–9	अनिर्णीत	
6	पैरा–10	निर्णीत	(दिनांक 17.6.2013 को विपणन समिति ऊना की बैठक की मद संख्या 5 द्वारा जिन लाईसैन्सों का नवीनीकरण नहीं हुआ है रद्द करने का अनुामेदन प्राप्त कर लिया गया है)
7	पैरा–11	निर्णीत	(₹6083 की वसूली रसीद संख्या 368/42 दिनांक 11.7.2013 द्वारा कर ली गई है)
8	पैरा–12	निर्णीत	(वसूली बारे पुष्टि पैरे में दर्शाई गई है)
9	पैरा–13	निर्णीत	(₹195 की वसूली की पुष्टि निम्नविवरणानुसार कर ली गई है)

रसीद सं0	दिनांक	राशि
412/23	22.1.2013	87
412/24	22.1.2013	3
412/25	22.1.2013	3
401/007	26.11.2012	102
	योग	**195**

10	पैरा–14	निर्णीत	(हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड शिमला के पत्र संख्या एचएमबी (सी)/95–842 दिनांक 29.1.2013 के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार संशोधित दरें दिनांक 7.4.2010 से लागू की गई है)
11	पैरा–15	निर्णीत	(भू राजस्व (ए0एल0आर0) की घोषित राशि की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन

			अवधि 4/2012 से 3/2013 में पुनः प्रारूपित)
12	पैरा–16	अशंतः निर्णीत	(i) ₹946 की वसूली की पुष्टि निम्नविवरणानुसार कर ली गई है)

रसीद सं0	दिनांक	राशि
368/47	11.7.2013	112
368/43	11.7.2013	430
455/47	16.9.2013	250
368/44	11.7.2013	154
	योग	**946**

(ii) श्री राजेन्द्रपाल चपड़ासी को किए गए अधिक भुगतान ₹1100 की वसूली की जानी वांछित है।

13	पैरा–17	निर्णीत	(अनुबन्ध हस्ताक्षरित कर दिया गया है)
14	पैरा–18	निर्णीत	(₹52 की वसूली रसीद संख्या 412/26 दिनांक 22.1.2013 द्वारा कर ली गई है)
15	पैरा–19	अनिर्णीत	
16	पैरा–20	अनिर्णीत	
17	पैरा–21	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अवधि 4/2012 से 3/2013 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शा दी गई है)

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	67
अतिरिक्त निदेशक की पर्यवेक्षण रिपोर्ट दिनांक 7.2.13 द्वारा तथा वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्णीत किए गए गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित पैरे	30
अन्तशेष (अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/11 तक)	37